राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड–डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

क्रमांक एफ 4(220) प्रा.शि./एमडीएम/दिशा-निर्देश/2016 722 जयपुर दिनांक 5.11.19

जिला शिक्षा अधिकारी,(मु.)
प्रारम्भिक शिक्षा
जिला समस्त

विषय : राजस्थान सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं में शिक्षा विभाग के बिन्दु संख्या 21.5 की कियान्विति बाबत।

संदर्भः– विभाग के पत्रांक 328 दिनांक 26.6.2019 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि मिड–डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना है जो छात्र/छात्राओं के पोषण स्तर में वृद्धि के लिए मुख्य भूमिका निभा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र कमांक 1240 दिनांक 20.2.2019 में प्रदत्त निर्देशों एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

मुख्यमंत्री सूचना तंत्र पर शिक्षा विभाग द्वारा की गयी 100 दिवसीय कार्ययोजना में विभाग से संबंधित बिन्दु संख्या 21.5 **"बच्चों के मिड–डे मील में पौष्टिक एवं गुणवत्ता पूर्ण पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना"** के मिड डे मील योजना के सुव्यवस्थित संचालन एवं कियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग किये जाने की अति आवश्यकता है। चूंकि वर्तमान में दीपावली एवं मध्यावधि अवकाश के पश्चात विद्यालय दिनांक 4.11.2019 से ही प्रारम्भ हुए है।

अतः योजना के कियान्वयन व भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता (क्वालिटी) बनाये रखने के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही गुणवत्ता (क्वालिटी) की जॉच जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति द्वारा परीक्षण करवाये जाने की कार्यवाही करावें एवं निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें :–

- भारतीय खाद्य निगम से उठाव के समय निर्धारित कमेटी के द्वारा फूडग्रेन की जॉच की जावें।
- विद्यालयों में भोजन बनने के पश्चात शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा चखने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही भोजन परोसा जाये।
- NABL एवं संबंधित अन्य एजेन्सियों द्वारा समय–समय पर पोषाहार की जॉच कराई जावे, ताकि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का संचालन प्रभावी रुप से सम्पादित हो सकें।

कृपया निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

अति. आयुक्त,(वित्त)
मिड–डे मील

पता :– प्रशासनिक भवन, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, सम्पर्क 0141 – 2701960, 2701694 (टेली/फैक्स),
ई–मेल mdm-rj@nic.in./rajmdm@rediffmail.com

Rajteachers.in

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड–डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांक एफ 4(220) प्रा0शि0/एमडीएम/दिशा–निर्देश/2016/1240 जयपुर दिनांक : 20/02/19

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :–मिड डे मील योजनान्तर्गत पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देश।
संदर्भ :– स्कूल शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना का पत्रांक प.01(01) प्रा.शि. /आयो./2019 दिनांक 15.02.2019

महोदय,

जैसा कि आप सभी को विदित है मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना है जो बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि, पिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, नामांकन में वृद्धि, विद्यार्थियों का विद्यालय में ठहराव एवं लिग, धर्म व जाति आधारित असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

राज्य में इस महत्वपूर्ण योजना के प्रभावी, पारदर्शी एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु यह अति आवश्यक है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर योजना की सघन मॉनिटरिंग की जावे। योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को पौष्टिक, उच्च गुणवत्तापूर्ण गर्म एवं ताजा भोजन उपलब्ध हो सकें, इसके लिए भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न के रख–रखाव, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ–सफाई के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश दिये जाते है :–

- **भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता के संबंध में निर्देश**

1. भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता बनायें रखने के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरुप ही भोजन में खाद्यान्न, दाल, मसाले एवं तेल की निर्धारित मात्रा उपयोग में ली जावें एवं साथ ही इनकी गुणवत्ता (क्वालिटी) का भी विशेष ध्यान रखा जावें।
2. खाद्यान्न, दालें, मसाले एवं सब्जियाँ अच्छी तरह साफ एवं धोकर काम में ली जावें। यदि खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है तो उसे किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लिया जावें।
3. उच्च गुणवत्तायुक्त दाल, तेल व मसाले उपयोग में लिया जावें।
4. मिड डे मील योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन दिये जा रहें मेन्यू में दिशा–निर्देशों के अनुरुप पौष्टिक तत्वों की मात्रा सुनिश्चित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों अधिक से अधिक उपयोग ली जावें।
5. यह सुनिश्चित किया जावे कि मध्याह्न भोजन योजना में दी जाने वाली चपाती अच्छी तरह से पकी हुई हो। साथ ही किसी भी परिस्थिति में जली हुई नहीं हो।

Rajteachers.in

6. चपाती को और अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियॉ जैसे पालक, बथवा, लौकी, मैथी, धनिया आदि आटे में मिलाकर मसालों के साथ तैयार की जा सकती है।
7. दाल, सब्जी अथवा खिचड़ी की पौष्टिकता बनाये रखने के लिए जहॉ तक सम्भव हो प्रेशर कुकर मे ही पकाया जावें।
8. तजा सब्जियों की अनुपलब्धता होने पर हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाकर व पीसकर, दाल, खिचड़ी, इत्यादि में काम लिया जा सकता है।
9. सप्ताह में एक बार मौसमी फल आवश्यक रुप से दिया जावें। सर्दियों में अमरुद एवं बाकी मौसम में केला आवश्यक रुप से छात्रों को दिया जावें। दोनों ही फल आसानी से छोटी से छोटी जगह पर उपलब्ध हो जाते है।
10. विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किये जाने चाहिये जिनमें हरी पत्तेदार सब्जियॉ पालक, धनिया, मैथी, मिर्च, टमाटर, नीबूं इत्यिादि उगाये जा सकते है तथा भोजन बनाने के उपयोग में लिया जा सकता है।
11. जहॉ तक सम्भव हो फोर्टीफाईड आटा, तेल, दाल एवं चावल का उपयोग किया जाना चाहिये। भोजन में डबल फोर्टीफाईड नमक का उपयोग किया जावें।

- **स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ–सफाई के संबंध में निर्देश**

1. भोजन बनाये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि भोजन बनाने, परोसने एवं खाना खाये जाने वाले बर्तन पूरी तरह साफ हो।
2. कुक कम हेल्पर्स का समय–समय पर मेडिकल चेक–अप आवश्यक रुप से करवाया जावें।
3. कुक कम हेल्पर्स को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य बातें जैसे नियमित रुप से नाखुन काटना, हाथ धोकर खाना बनाना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि की जानकरी दी जावें।
4. छात्र/छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखुन काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ–सफाई आदि की जानकारी आवश्यकरुप से दी जावे।
5. डिवार्मिंग के विशेष प्रयास किये जाने चाहिये। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में 2 बार डिवार्मिंग एवं विटामिन ए की खुराक दी जावें। सप्ताह में एक बार आयरन एवं फोलिक एसिड की आपूर्ति की जावें।

- **खाद्यान्न का रख–रखाव एवं सुरक्षा के संबंध में निर्देश**

1. प्रायः यह देखने में आया है कि विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी अगली तिमाही के लिए खाद्यान्न की मांग की जाती है। इससे शाला में खाद्यान्न का स्टॉक आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कई विद्यालयों में 2 से 3 तिमाही तक का खाद्यान्न स्टॉक में उपलब्ध है। स्टॉक आवश्कता से अधिक खाद्यान्न इकट्ठा हो जाने के कारण इसके खराब होने की सम्भावना बढ़ जाती है। अतः यह हर परस्थिति में सुनिश्चित किया जावे की प्रत्येक तिमाही के लिए वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न एवं अगली तिमाही की मांग को ध्यान में रखते हुये ही खाद्यान्न की मांग की जावें। विद्यालयों में किसी भी स्थिति में एक तिमाही की मांग से अधित खाद्यान्न स्टॉक में नहीं होना चाहिये।
2. खाद्यान्न को एक निश्चित ऊचॉई (कम से कम 6 इंच) के प्लेटफार्म पर दीवारों से दूर रखा जावें जिससे चूहे एवं अन्य कीड़े–मकोडों की समस्या से बचा जा सकें।

Rajteachers.in

3. खाद्यान्न रखे जाने वाले कमरे में वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो जिससे नमी के कारण अनाज के खराब होने की समस्या से बचा जा सकें। खाद्यान्न में नमी किसी भी परिस्थिति में 12 प्रतिशत से अधिक नहीं हों। ज्यादा नमीं होने या खाद्यान्न में कीड़ा लगने की स्थिति में खाद्यान्न को धूप में सुखाकर इन्हे दूर किया जा सकता है।
4. खाद्यान्न के उचित रख–रखाव हेतु इसे लोहे के बडे ड्रम्स में रखा जा सकता है।
5. भारतीय खाद्य निगम की नियमावली के अनुसार खाद्यान्न तीन महीने तक सुरक्षित रहता है। इसके पश्चात खाद्यान्न में इल्ली या अन्य कीड़ा लगने की सम्भावना रहती है। यदि खाद्यान्न में इल्ली या अन्य कीड़ा लग गया हो तो उसे धूप में सूखाकर सुरक्ष्ति किया जावें। यदि खाद्यान्न इल्ली या कीड़ा लगने या नमी के कारण खराब हो गया हो तो उसे खाने के काम में नहीं लिया जावें।
6. नये खाद्यान्न को पूराने खाद्यान्न से अलग रखा जावें।
7. खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टीसाईड या कीड़े एवं चूहे मारने के लिए काम में आने वाला कोई भी रसायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया जावें। ऐसा कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ रसोई या खाद्यान्न भण्डारन के आस–पास नहीं रखा जावें।

- <u>अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश</u>

1. प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) को अधिकाधिक सकिय बनाया जावें और यह प्रयास किया जावे कि मिड डे मील के संचालन में उनकी महती भूमिका हो। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो समिति में अधिक सकिय एवं जागरुक सदस्यों को सम्मिलित किया जावें।
2. पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील परासने से पहले दो बडे व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्यरुप से चखा जावें जिसमें एक अध्यापक और एक विद्यालय प्रबन्धन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अध्यापको और विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जावें और इसका इन्द्राज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जावे, ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि पोषाहार को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले दो व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है और वह पूर्णतयः सुरक्षित है। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिये किसी एक अध्यापक को उत्तरदायी बनाया जावें।
3. प्रत्येक विद्यालय में ही मिड डे मील के कियान्वयन के पूर्ण एवं प्रभावशाली निरीक्षण किये जावें। इन निरीक्षण रिपोर्टो की जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में समीक्षा की जावें और उसके आधार पर पायी गई कमियों एवं समस्याओं का तुरन्त निराकरण किया जावें।
4. यह भी देखने में आया है कि कार्यक्रम का निरीक्षण संबधित अधिकारियो द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं किया जा रहा है यह एक गम्भीर लापरवाही है। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जावें कि प्रत्येक अधिकारी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रतिमाह निरीक्षण करें। इन अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण की प्रतिमाह जिला स्तर पर समीक्षा की जावें। निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों को तुरन्त दूर करने की ठोस कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें। यदि निरीक्षण के दौरान किसी अधिकारी/कर्मचारी की कार्यक्रम के कियान्वयन के संबंध में लापरवाही पायी जाती है तो उसके खिलाफ तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।
5. मिड डे मील कार्यक्रम के कियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतो का निस्तारण अविलम्ब किया जावें। इसके लिए जिला स्तर पर एक जन अभाव अभियोग निराकरण सैल का गठन किया जा सकता है। प्रतिमाह शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की जावे।

Rajteachers.in

6. योजनान्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा एवं संचालन समिति गठित की हुई है। उक्त समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित करवाई जावे एवं योजना से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करवाया जावे।
7. योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील में वितरित किये जाने वाले भोजन की जांच खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं में समय–समय करवाया जावे तथा वितरित किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाकर विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय

19/2/19

(डॉ. एन.के. गुप्ता)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
8. जिला रसद अधिकारी, जिला समस्त।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समस्त
10. रक्षित पत्रावली।

19/2

उपायुक्त
(क्रिया.एवं मोनि.)

Rajteachers.in

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड–डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

क्रमांक एफ 4(220) प्रा.शि. / एमडीएम / दिशा–निर्देश / 2016/328 जयपुर दिनांक : 26.06.19

जिला कलक्टर,
जिला समस्त
राजस्थान।

विषय : राजस्थान सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं में शिक्षा विभाग के बिन्दु संख्या 21.5 की कियान्विति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि मिड–डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना है जो छात्र / छात्राओं के पोषण स्तर में वृद्धि के लिए मुख्य भूमिका निभा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र कमांक 1240 दिनांक 20.2.2019 में प्रदत्त निर्देशों एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

मुख्यमंत्री सूचना तंत्र पर शिक्षा विभाग द्वारा की गयी 100 दिवसीय कार्ययोजना में विभाग से संबंधित बिन्दु संख्या 21.5 **"बच्चों के मिड–डे मील में पौष्टिक एवं गुणवत्ता पूर्ण पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना"** के मिड डे मील योजना के सुव्यवस्थित संचालन एवं कियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग किये जाने की अति आवश्यकता है।

अतः योजना के कियान्वयन व भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता (क्वालिटी) बनाये रखने के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही गुणवत्ता (क्वालिटी) की जॉच आपकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति द्वारा परीक्षण करवाये जाने के निर्देश प्रदान करें एवं निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें :–

- भारतीय खाद्य निगम से उठाव के समय निर्धारित कमेटी के द्वारा फूडग्रेन की जॉच की जावें।
- विद्यालयों में भोजन बनने के पश्चात शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा चखने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही भोजन परोसा जाये।
- **NABL** एवं संबंधित अन्य एजेन्सियों द्वारा समय–समय पर पोषाहार की जॉच कराई जावे, ताकि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का संचालन प्रभावी रुप से सम्पादित हो सकें।

कृपया निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

आयुक्त,
मिड–डे मील

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, आयोजना को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ।

अति. आयुक्त,(वित्त)

Rajteachers.in